Speed Post 22-4-2014

जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धाराओं के अन्तर्गत सूचना न देने के सम्बन्ध मे अपील।

प्रेषक,

गिरिजा शंकर श्रीवास्तव,
द्वारा– ओम प्रकाश श्रीवास्तव,
यू0पी0एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0,
निकट–सूरजकुण्ड, डाकखाना–गोरखनाथ,
जिला–गोरखपुर–273015 (उ0प्र0)

सेवा में,

महाप्रबन्धक (के0आ0)
पावरग्रीड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0,
सौदामिनी प्लान्ट नं02,
सेक्टर–29, गुड़गांव–122001 (हरियाना)
एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
केन्द्रीय कार्यालय, गुड़गांव।

विषय :– आर0टी0आई0 के तहत मांगे गये सूचना न देने के सम्बन्ध में अपील।

महोदय,

श्रीमान् का ध्यान आपके पत्र संख्या सू0का0अ0अ0–05 आन्तरिक/13–101 दिनांक 01–10–2013 की ओर आकृष्ट किया जा रहा है जिसके द्वारा आपने MOP Letter No. 10/5(35) 2013 PG RTI दिनांक 24–12–2013 को आर0टी0आई0 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन पत्र 5–9–13 जो गिरिजा शंकर श्रीवास्तव यू0पी0 एग्रो कार्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर, जिला–गोरखपुर (उ0प्र0) डाकखाना–गोरखनाथ–273015 का आवेदन पत्र अग्रसारित किया था, तथा वांछित बिन्दुओं का उत्तर देने हेतु निर्देश दिया गया था। पत्र की फोटो प्रति संलग्न एनेक्जर–1 तथा याची द्वारा स्मरण पत्र आपके पत्र दिनांक 01–10–2013 का उत्तर पावर ग्रीड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 से उत्तर न मिलने के कारण याची ने अपने पत्र दिनांक 25–01–2014 से उन्हे स्मरण कराया था (पत्र की प्रतिलिपि संलग्नक– एनेक्जर–2)।

क्रमशः..2

खेद के साथ सूचित किया जा रहा है कि आपके स्पष्ट निर्देश के बाद भी सूचना लगभग 7 माह अर्थात 210 दिन व्यतीत हो जाने पर भी उपलब्ध नहीं हो सका, जबकि सूचना पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर हो जाना चाहिए था। अन्यथा 250/– रूपया प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी देय बनता है जो अधिकतम 25000/– रूपया होता है।

उक्त के सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी अवगत कराया गया था। माननीय प्रधानमंत्री के अनुभाग अधिकारी एवं केन्द्रीय सहायक लोकसूचना अधिकारी अपने पत्र संख्या 4195 दिनांक 24–03–14 द्वारा निर्देश दिया गया है कि आपके समक्ष अपील प्रस्तुत किया जाय। (पत्र की फोटो प्रति संलग्न एनेक्जर नं03)।

अतः कृपया उक्त के सम्बन्ध में आर0टी0आई0 में निर्धारित धाराओं के अन्तर्गत समय से सूचना न देने के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय। 6 बिन्दुओं पर वांछित सूचना की प्रति पुनः संलग्न की जा रही है। जो Annex-4 पर संलग्न है

राहत जो उपलब्ध कराया जाय :–

1– ग्यारह माह व्यतीत हो जाने पर सूचना न देने के कारण ऐक्ट मे निर्धारित अधिक्तम 25000/– रूपया पेनाल्टी वसूल किया जाय।

2– मूल आवेदन पत्र में बिन्दुवार सूचना तथा वांछित डाकुमेन्ट्स उपलब्ध कराया जाय जैसा बिन्दु संख्या–6 मे मांगा गया है।

भवदीय,

Girija Shankar Srivastava
22-X-14

(गिरिजा शंकर श्रीवास्तव)
द्वारा– ओम प्रकाश श्रीवास्तव
यू0पी0एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपो0
आफ इण्डिया लिमिटेड,
पोस्ट–गोरखनाथ–273015
जिला–गोरखपुर।

Encl. 4 nos as stated above.

Annex-I

Recd. on 7-X-13

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

"सौदामिनी' ,प्लाट नं ,2 .सैक्टर ,29-गुड़गांव ,122001-हरियाणा

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ,केन्द्रीय कार्यालय ,गुड़गांव

संदर्भ:सू.का अ.अ.,05/आंतरिक-13/101 दिनांक: 1.10.2013

Sub: **Information sought under RTI Act, 2005**

Attached please find a copy of MoP's letter No. 10/5/(35)/2013-PG(RTI) dated 24th September, 2013 forwarding RTI request dated 5th September, 2013 of Shri Girija Shanker Srivastava, UP Agro Industrial Corporation Ltd., Gorakpur, Near Surajkund, Distt. Gorakpur, UP- 273015 under RTI Act, 2005.

It is understood that the information sought is related with Northern Region Transmission System-I (NRTS-I) and is expected to be available with NRTS-I. Accordingly, the request is being forwarded to CPIO, NRTS-I to provide information under RTI Act, 2005.

It is requested that information may please be **forwarded directly to the requester** with an intimation to the undersigned.

Thanking you,

भवदीय,

(सुधीर मित्तल)

महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Attach.:- As above.

To,

Shri T. C. Sarmah,
General Manager & CPIO,
Northern Region Transmission System-I
Power Grid Corporation of India Ltd.
B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110016

Copy :

1 General Manager (Vig.) : for kind information, please.

2 Shri Girija Shanker Srivastava,
UP Agro Industrial Corporation Ltd.,
Gorakpur, Near Surajkund, Distt.
Gorakpur, UP- 273015

~~Annex-3~~ Speed Post **Annex-2** ~~25-9-13~~ 25-1-14

Information to be Submitted Under R.T.I Act 2005

From

Girija Shankar Srivastava
U.P. Agro-Industrial Corporation Ltd, Gorakhpur
Near Suraj Kund
Distt. Gorakhpur
P.O.- Gorakhnath Pin Code-273015
Uttar Pradesh

To,
General Manager C.P.I.O
Northern Region Transmission System-1
Power Grid Corporation of India Ltd
B-9 Qutab Institutional area
Katwaria Sarai
New Delhi-110016

Subject:- Information Sought Under R.T.I. Act.

Sir,

Inviting your attention towards your letter dt. 1-X-13 wherein Mr. Sudhir Mittal Gen. Manager (R.T.I.) and K.L.O., Saudamini, Adhikari Gurgaon has directed you for furnishing information as directed by M.O.P's letter no 10/5(35)/2013 P.G. (R.T.I) dt. 24-9-13 forwarding R.T.I request dt. 5-9-13 of the applicant (copy of letter attached) Upwith. Annex-1

In above letter, underneath information have been given in the 2nd para of the letter:—

xxx. It is understood that the information sought is related with Northern Region Transmission System-1 (N.R.T.S-1) and is expected to be available with N.R.T.S-1. Accordingly, the request is being forwarded to CPIO NRTS-1 to provide information under R.T.I. Act, 2005 xxx

It is regret to inform that time schedule for reply under R.T.I i.e. 30 days have been passed away (as given in the Act) but no information has been

Contd

[illegible]

It is also important to point out that under R.T.I. Act, 2005 - Clause 5 Rule 20 - any information sought under this Act, following provisions has been made :-

XXX has not furnished information within the time specified under sub section (1) of Section 7, or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however the total amount of such penalty shall not exceed twenty five thousand rupees xxx

As such as per provision, Rs 250/- each day penalty is payable after a gap of 30 days, in above case from 1-X-13 to 24-1-14 116 days passed away and no reply has been received. As such 116 x 250 = 29000. But maximum penalty is Rs 25000/-, hence you are liable to pay Rs 25000/- as provided under Act.

Separate claims are being made to Central appellate authority and for expenses incurred for negligence as provided under Act.

It is therefore requested to please furnish the information as requested vide letter dt 29-8-13. Village name of the then Prime Minister Shri Chandra Sekhar Singh is "Ibrahim Patti" from where electric poles are being installed upto Delhi.

Annex-2

Yours

Amrit Shankar Srivastava

25-1-2014

Annex-3

स्पीड पोस्ट ए.डी

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

संख्या आरटीआई/4195/2013-पीएमआर

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांक 25.3.2014

सेवा में

श्री गिरजाशंकर श्रीवास्तव
द्वारा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव
यू0पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0
गोरखपुर, निकट सूरजकुण्ड, पोस्ट गोरखनाथ
जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273 015

विषय - दिनांक 15.3.2014 के पत्र के संदर्भ में

महोदय,

विषयांतर्गत आपके दिनांक 15.3.2014 के पत्र के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके दिनांक 29.8.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 2.9.2013 को प्राप्त हुआ, को इस कार्यालय के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5.9.2013 द्वारा विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली को अंतरित किया गया है। इस संबंध में यदि आपको संबंधित लोक प्राधिकरण से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है तो संबंधित लोक प्राधिकरण के अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करें।

2. यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शुभेन्दु होता)
अनुभाग अधिकारी एवं
केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी
☎: 2338 4619

Sprd Post – Annex-4 29-8-13

जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने के सम्बन्ध में।

प्रेषक,

गिरजा शंकर श्रीवास्तव,
एवं
उमाशंकर श्रीवास्तव
[illegible]
ग्राम- ठाकुर गौरी
डाकखाना–इटहुआ।
तहसील–सलेमपुर
जिला- देवरिया (उ0प्र0)

पत्राचार हेतु वर्तमान पता–
गिरजाशंकर श्रीवास्तव
द्वारा – ओम प्रकाश श्रीवास्तव
यू0पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल
कारपोरेशन लि0 गोरखपुर
निकट–सूरजकुण्ड
डाकखाना–गोरखनाथ
पिनकोड–273015
जिला–गोरखपुर (उ0प्र0)

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार साउथ ब्लाक,
नई दिल्ली।

विषय :–भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह जो जिला–बलिया (उ0प्र0) के निवासी थे के कार्यकाल में स्वीकृत किये गये बिजली परियोजना को [illegible] स्वीकृत की गयी थी, [illegible] कार्यों को [illegible] सलेमपुर–देवरिया होते हुए दिल्ली तक इलेक्ट्रिक पोल को वर्तमान में लगाया जा रहा है, के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमान् का ध्यान संदर्भित विषय की ओर आकृष्ट किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में श्रीमान को अवगत कराना है कि याचीगण ग्राम ठाकुर गौरी डाकखाना–इटहुआ चन्दौली तहसील–सलेमपुर थाना–कोतवाली सलेमपुर जिला–देवरिया उ0प्र0 के निवासी हैं। याचीगण एक किसान है तथा कृषि उत्पादन कर अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं।

याचीगण के प्लाट में जिसका विवरण नीचे अंकित है काफी बड़े साइज का ऊँचे–ऊँचे पोल भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह के ग्राम जो जिला–बलिया में स्थित है–ग्राम से गाड़ते हुए सलेमपुर, देवरिया एवं अन्य शहरों कस्बों ग्रामों से होते हुए दिल्ली तक ले जाया जा रहा है।

उक्त के क्रम में ही याचीगण के ग्राम–ठाकुर गौरी डाकखाना–इटहुआ चन्दौली जिला–देवरिया उ0प्र0 में भी पोल जून, जुलाई 2013 में गाड़ा गया है जिसका प्लाट नं0–33 ग्राम–ठाकुर गौरी (लाचिरागी ग्राम चकरवा) जिला–देवरिया उ0प्र0 है। इस पोल के लगने के कारण लगभग 00.0400 हेक्टेयर क्षेत्र हम किसानों का जमीन कृषि योग्य नहीं रह गया है तथा खेत में बैलों / ट्रैक्टरों में जुताई में भारी कठिनाई हो गयी है। जिसके कारण याचीगण काफी कठिनाई में पड़ गये हैं तथा कोई सम्बन्धित अधिकारी वास्तविक स्थिति नहीं बता रहा है न हम किसानों से मिलकर कोई जानकारी दे रहा है।

अतः जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 10/– का पोस्टल आर्डर जिसका विवरण नीचे अंकित इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। कृपया निम्न बिन्दुओं पर सूचना याची को पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर देने की व्यवस्था की जाय।

<u>विवरण पोस्टल आर्डर</u>

69C –712126 (5/– रू0) तथा

69C –712127 (5/– रू0)

कुल 10/– रू0

बिन्दु संख्या –1	भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह जी के ग्राम में जो विद्युत पोल लगाये जा रहें है वह किस परियोजना के तहत लगाये जा रहें सूचित किया जाय ?
बिन्दु संख्या –2	पोल के लगाने में जो जमीन ली गयी है उसका मुआवजा किस दर भुगतान हेतु स्वीकृत किया गया है ? सूचित किया जाय।
बिन्दु संख्या –3	स्वीकृत योजना के अनुसार किसानों से ली गयी कृषि योग्य भूमि के मुआवजे का प्रावधान निर्धारित किया गया है या नहीं ? सूचित किया जाय।

क्रमशः...3

बिन्दु संख्या —4 — निर्धारित मुआवजे का भुगतान पोल लगने से पहले क्यो नही किया गया ?

बिन्दु संख्या —5 — किसाने के जमीन लेने के पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों के जमीन को अधिग्रहण करने से पहले सम्बन्धित कृषकों की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है........ तो संदर्भित योजना के अन्तर्गत लिये गये जमीन में पोल लगाने से पहले हम कृषको को स्वीकृति योजना की पूर्ण जानकारी क्यों नही दी गयी ? तथा हम कृषकों से जमीन लेने से पहले सहमति क्यों नही ली गयी ? सूचित किया जाय।

बिन्दु संख्या —6 — स्वीकृत योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी जाय जिससे याचीगण अगली कार्यवाही करने में सक्षम हो सकें ? स्वीकृत योजना की प्रतियाँ भी याचीगण को उपलब्ध कराया जाय।

अतः श्रीमान् जी से आग्रह है कि कृपया उक्त 6 बिन्दुओं पर सूचना पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर याची के वर्तमान पता जैसा कि उपर अंकित है देने की व्यवस्था की जाय जिससे अगली कार्यवाही की जा सकें।

Village Name
Sh Chandra Sekhar Singh
in Ibrahim Pathi

भवदीय

Girja Shankar Srivastava
29-8-13

(गिरजा शंकर श्रीवास्तव)
द्वारा—ओम प्रकाश श्रीवास्तव,
यू0पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल
कारपोरेशन लि0, गोरखपुर।
निकट—सूरजकुण्ड
डाकखाना—गोरखनाथ—273015
जिला—गोरखपुर। (उ0प्र0)